

आदेश

डा0 अशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, शंकरपुर, मधेपुरा के विरुद्ध राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना से प्राप्त 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24x7 सेवारत रहने की औचक जाँच रात्रि में दूरभाष के माध्य से की गई तथा आप अनुपस्थित पाये गए तथा पूछे गये स्पष्टीकरण के संबंध में अपना कोई पक्ष नहीं रखने के कारण दोषी मानते हुए निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है :-

(क) चेतवानी

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक,

डा0 अशोक कुमार चौधरी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी मधेपुरा का दिनांक 17.5.16 द्वारा अपील अभ्यावेदन उचित माध्यम से प्राप्त हुआ। प्राप्त अपील अभ्यावेदनों की समीक्षोपरांत आदेश सं0 407(9) दिनांक 13.4.2016 द्वारा दिये गए दंड में से सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 चौधरी को असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक की सजा को विलोपित करने का निर्णय लिया है।

अतः उक्त कंडिका 'ख' को विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

स्वा0 विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:

81(9)

/स्वा0, पटना, दिनांक: 18/01/2017

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार पटना ) बिहार, पटना/ अवर सचिव वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- क्षेत्रीय अपर- निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें कोशी प्रमंडल सहरसा/ सिविल सर्जन मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवायें बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 अशोक कुमार चौधरी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, शंकरपुर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9, एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव